

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय हनिशियल्स जज</p> <p>उनवान सरकार बनाम .....</p>
<p>11/11</p>	<p>कम्पनी से वही पंजील उद्घरणत नही करने कस्त ता कि 13-1-10 से लेते ही 19.</p> <p>13/11/15</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगत/निर्णय का कार्य में व्यस्त/ दौरे पर होने के कारण कार्य पेशी लगा दी गई। पत्रावली दिनांक 20/11/15 को पेश हो।</p>
<p>15/11</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगत/निर्णय का कार्य में व्यस्त/ दौरे पर होने के कारण कार्य पेशी लगा दी गई। पत्रावली दिनांक 20/11/15 को पेश हो।</p>
<p>3-7-15</p>	<p>आज पत्रावली पेश हुई। कम्पनी कोर्टे जीजजद में पक्षकार उपस्थित नहीं। इस प्रकरण के काद में (स्थानांतरण) आवृत्त लगाने का हेतु निर्णय की गई है। और, बाद अवलोकन हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि (स्थानांतरण) आवृत्त का अर्थगत जैसे हुए उभय पक्ष को ताकत का काद पान्द किया जाता है कि काद अंत शरी के अंतर्गत एक कोर्ट की स्थिति उपस्थित बनाये गये। एतद, कम्पनी अंतर्गत नहीं है। निर्णय हुआ कि 3-7-15</p>